FORM NO –III

फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
केनरा बैंक, परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा ऑर्बिट मॉल सिविल लाइन्स अजमेर रोड जयपुर राजस्थान।		1. मैसर्स कृष्णा गिनिंग फैक्ट्री (प्रोपराइटर श्री दिलीप टाक पुत्र श्री हनुमान राम) 2. श्री रामकुंवार पुत्र भंवरलाल 3. श्री भंवरलाल पुत्र श्री काना राम 4. श्री हड़मान राम पुत्र श्री भंवर लाल निवासीगण वार्ड नम्बर 03, बुटाटी रोड कुचेरा, तहसील मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान–341024

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या–** 78 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17/04/25	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संलग्न बैंक दस्तावेजो में ऋणी व सहऋणी भंवरलाल का अगुष्ठ निशान हैं,जबकि भंवरलाल की बंधक सम्पत्ति में भंवरलाल के हस्ताक्षर हैं,इसलिए प्रकरण में बंधक सम्पत्ति के मालिक के हस्ताक्षरों की विरोधाभाषी स्थित हैं। अतः वकील अभिभाषक इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। (अरूण कुमार पुरोहित) जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट नागौर	
30/04/2025	वकील प्रार्थी उप०। पालिक आदेशानुसार वकील प्रार्थी स्थिति स्पष्ट करने हेतु समय चाहा है। पत्रावली दिनांक 27/05/2025 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
27/05/25	वकील प्रार्थी उप०। श्रीमान् PO सा. चुनाव प्रशिक्षण हेतु दिल्ली पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	

30/05/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। इस पत्रावली में सम्बन्धित प्रकरण में 05/03/2025 को प्रकरण सं० 33/2025 में निर्णय किया जा चुका है। इसलिए इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। अतः प्रकरण पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर